

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 57/2017

अपीलान्ट
गंगाराम पुत्र लिछमणराम जाति रेगर
निवासी बडली नागौर।

बनाम

तहसीलदार, नागौर।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:24.06.2019

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/2015 सरकार बनाम गंगाराम में निर्णय दिनांक 18.06.15 के तहत मौजा नागौर के खसरा नं. 485 रकबा 50 X 50 वर्गफुट गै.मु. अंगौर भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 31.05.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 02.06.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार नागौर के प्रकरण संख्या 39/2015 सरकार बनाम गंगाराम में पारित निर्णय दिनांक 18.06.18 की फोटोप्रति, नगर परिषद के आदेश की फोटोप्रति, पट्टा आवेदन की फोटोप्रति, इकरारनामे की फोटोप्रति, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, बयानात की फोटोप्रति, आपतिय विज्ञप्ति की फोटोप्रति, नक्शा की फोटोप्रति, पट्टा की फोटोप्रति, स्वीकृति पत्र की फोटोप्रति, पानी के बिल की फोटोप्रति, बिजली बिल की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, नगर परिषद् जारी प्रमाण पत्र दिनांक 21.03.16 की फोटोप्रति, राशन कार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर के निर्णय दिनांक 27.10.17 की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.15 का नोटिस अपीलान्ट को दिया गया था, जिस पर अपीलान्ट दिनांक 18.06.15 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ था, अपना जवाब व दस्तावेज पेश किये। अपीलान्ट को बताया गया कि साक्ष्य सबूत के लिये नोटिस देकर आगामी तारीख की सूचना अपीलान्ट को दे दी जायेगी, लेकिन बाद में ऐसी कोई सूचना अपीलान्ट को कभी नहीं दी गई। उस दिन अपीलान्ट के खाली ऑर्डर सीट पर दस्तख्त करवाये गये। अपीलान्ट द्वारा पेश किये गये सिविल वाद में दिनांक 11.05.17 की पेशी तारीख पर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही में तहसीलदार नागौर द्वारा निर्णय पारित किया जाना जाहिर किया गया, जिस पर अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपीलान्ट को इस निर्णय की जानकारी दी, तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट को इस निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाना उचित व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलान्ट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलान्ट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि



अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)—अपीलाधीन निर्णय, अवैध अनाधिकृत विधि विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के पारित किया हुआ होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)—वादग्रस्त भूमि अपीलांट के बडेरों के समय से मालिकाना हक स्वामित्व कब्जे की रहवासी पट्टासुद भूमि है तथा सन 1975 में नगरपालिका नागौर द्वारा इस भूमि का पट्टा अपीलांट के नाम जारी किया गया था। अपीलांट के स्वामित्व पट्टासुद जायगा के संबंध में रेस्पोजेन्ट को धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था, इसलिये ऐसी कार्यवाही में पारित निर्णय बिना क्षेत्राधिकार का होने से अपास्त योग्य है।

{2}(III)—पचासो साल पहले अपीलांट के बडेरो की इस भूमि पर चारो ओर बाड की हुई थी तथा अंदर कच्चे रहवासी टांव बने हुए थे, जिनके आधार पर ही अपीलांट को स्टेट ग्रांट एक्ट के अन्तर्गत नगरपालिका द्वारा पट्टा जारी किया गया था। पट्टा जारी किया गया, उस वक्त रेस्पोजेन्ट सहित किसी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी।

{2}(IV)—अपीलांट ने समय समय पर नगरपालिका से मकान निर्माण की स्वीकृति, बिजली पानी के कनेक्शन की स्वीकृति प्राप्त कर पुराने समय से बने कच्चे रहवासी टांवो व कच्ची बाड के स्थान पर पक्के मकान को निर्माण व पक्की चारदीवारी का निर्माण 1975 के आस पास ही करवा लिया था, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(V)—अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि को अंगोर भूमि मानने में कानूनी गलती की है। यह भूमि केवल राजस्व रेकॉर्ड में गलत रूप से अंगोर दर्ज है। मगर वास्तव में कभी भी मौके पर अंगोर के काम में नहीं आयी है। न आज दिन अंगोर के काम आ रही है।

{2}(VI)—भूमि अंगोर के काम आ रही है। ऐसी कोई पत्रावली पर नहीं थी। पट्टा जारी शिकायतकर्ता स्वयं ने उपस्थित होकर अपने बयान नहीं दिये हैं। यदि पट्टा जारी बयान देता और अपीलांट को जिरह का तथा साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाता तो साफ साबित हो जाता कि वादग्रस्त भूमि अंगोर नहीं है।

{2}(VII)—खसरा नं. 485 की पूरी भूमि पर आबाद मौहल्ला बसा हुआ है। जिसमें सैकड़ो रहवासी मकान बने हुए हैं। सरकार ने स्वयं ने बिजली पानी की लाईने बिछाकर इन सभी घरों में बिजली पानी के कनेक्शन दे रखे हैं। सरकार ने इस बस्ती में सीवरेज लाईन भी बिछा रखी है, अपीलांट के आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची इस जगह के पुराने समय के बने हुए हैं।

{2}(VIII)—अपीलांट सदभाविक काबिज स्वामी पट्टासुद मालिक है तथा सरकार की एक संस्था नगरपालिका द्वारा अपीलांट को चालीस साल पहले पट्टे जारी किये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व माननीय राज. उच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व का विवाद है, वे मामले धारा 91 जैसी संक्षिप्त प्रक्रिया में तय किये जाने चाहिये, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(IX)—वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आराजी भूमि को लेकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में दीवानी विविध प्रकरण 44/17 गंगाराम बनाम सरकार में आदेश दिनांक 27.10.17 के द्वारा बेदखली नहीं करने व अपीलांट के गिराये मकान व मलबे सामग्री को वहां से नहीं हटाने बाबत एवं यदि प्रार्थी विधिअनुसार वादग्रस्त जायदाद पर निर्माण कर उसमें निवास करना चाहे तो वह इस बाबत किसी प्रकार की बाधा नहीं करने हेतु स्थगन जारी किया हुआ है। जो वर्तमान में प्रभावी है। इसलिये आदेश जैर अपील खारिज किया जाना चाहिये।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा नागौर में स्थित अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पट्टा जारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 485 रकबा 50x50 वर्गफुट अंगोर भूमि पर अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. अंगोर है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट



याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दि. 02.08.04 की अनुपालना में अंगौर भूमि पर पूर्व किए गए आवंटन/नियमन को निरस्त करवाए जाने हेतु रेफरेंस तैयार कर सम्बन्धित न्यायालयों में पेश भी किये जा रहे हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत अंगौर किस्म की भूमि का आवंटन/नियमन किया जाना निषेधित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। जहां तक आराजी भूमि को लेकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नागौर में दीवानी विविध प्रकरण 44/17 गंगाराम बनाम सरकार में आदेश दिनांक 27.10.17 के द्वारा बेदखली आदि नहीं करने को लेकर स्थगन है, के संबंध में न्यायालय आदेश की वर्तमान स्थिति, उक्त आदेश, आराजी भूमि को लेकर ही है, आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही आदेश जैर अपील की पालना की जावे।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. नरेन्द्र कुमार थोरी)
अपर कलेक्टर, नागौर
नागौर